

U; k; ky; Hkū zU/k vf/kdkjh ,o insu jktLo vihy
i kf/kdkjh chdkuj

Ekghkohj [kjkmh vkj0,0,10

vihy 10 06@2004

1. प्रहलाद पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी वार्ड न0 4 कस्बा सुजानगढ जिला चूरु ।

vihyk/

cuke

1. मीनादेवी पुत्री बिडदीचंद जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
2. महेन्द्र पुत्र बिडदीचंद जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
3. अमरीत पुत्र बिडदीचंद जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
4. स्व0 भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
- 4.1 गंगाराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
- 4.2 राजुराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
- 4.3 मांगली पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी चुनाराम जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
- 4.4 कमला पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी पेमाराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी तहसील व जिला सीकर ।
- 4.5 गणेशी पुत्री स्व0 भंवरलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
5. नन्दलाल पुत्र कोडाराम जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरु ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरु ।

jti k/MS VI

7. मोहनलाल उर्फ नानुराम पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी सुजानगढ ।
- 8- कालुराम पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी सुजानगढ ।

xkSk jti k/MS VI

mi fLFkr%&

1. श्री सुरेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता अपीलांट्
2. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया रेस्पोजेन्ट



U; k; ky; mi [k.M vf/kdkjh I qtkux< ds fu.kz , oa fMØh
fnukd 08-08-2003 dsfo: } vihy
vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk' rdkjh vf/kfu; e 1955

fu.kz

दिनांक:—27.10.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से हैं कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय एव डिक्री दिनांक 08.08.2003 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा रोही मोजा सुजानगढ में खातेदारी भूमि है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा रोही मोजा सुजानगढ में अपीलांट की खरिदशुद्धा बाड़ी है जिसमें उसका पुराना कब्जा काश्त व मलकियत है । इस भूमि की खातेदारी अचरज देवी पत्नी श्रीचंद जाति ओसवाल के नाम से अंकित है । अचरज देवी ने अपने जीवनकाल में बिडदीचंद पुत्र चन्दनमल जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जो रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के पिता है को अपने पास छोटी अवस्था में रखा तथा विवादित भूमि का मालिक बिडदीचंद को बना दिया । अचरज देवी का स्वर्गवास सन 1956 से पहले हो गया । विवादित भूमि को बिडदीचंद के द्वारा अपीलांट को मौखिक रूप से बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया तथा दिनांक 24.03.90 को ईकरारनामा भी अपीलांट के पक्ष में लिख दिया । अपीलांट व गौण रेस्पो0 द्वारा इस प्रकार से भूमि का प्रतिफल अदा करके विधिवत कब्जा प्राप्त कर खरिद की गई भूमि पर एडवर्स पजेसन के आधार पर निर्बाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में एक घोषणात्मक दावा राजस्व रेकार्ड में अंकन का प्रस्तुत किया गया जिसे मौखिक व लिखित साक्ष्यों से भलिभांति साबित करने का प्रयास किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसे साबित न मानकर खारिज कर दिया गया । रेस्पो0/प्रतिवादीगणों पर विधिवत तामिल करवाई गई एवं अखबार में सम्मन साया करवाया जाकर रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया परन्तु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पो0/प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नहीं आये और ना ही किसी प्रकार का ऐतराज आपत्ती पेश की । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादीगणों द्वारा दावे में प्रस्तुत साक्ष्यों सबुतो का विरोध नहीं किये जाने के बाद भी दावा खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं रहा है । रेस्पो0 द्वारा दावे का कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपीलांट का दावा स्वयं प्रमाणित था और अपीलांट द्वारा अपने दावे के पक्ष में गिरदावरीयां, ईकरारनामा व प्रतिवादीगण एवं अपीलांट सं0 1 ता 3 के द्वारा की गयी घोषणा दस्तावेज, बयान अहम लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश कर दावा साबित करने

का पुर प्रयत्न किया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी पर कोई गौर न फरमाते हुए और ना ही आवश्यकतानुसार तनकियात कायम किये बिना दावा डिक्री किया जाना विधि विरुद्ध है । अपीलांट/वादी के हक में 1990 में लिखित ईकरारनामा यह साबित करता है कि वादगत कृषि भूमि को अपीलांट द्वारा उचित प्रतिफल अदा करके विधिवत खरिद कर विधिवत कब्जा प्राप्त किया है । विवादित खसरा रेस्पो0 द्वारा लम्बे अर्से से बतौर मालिक बेहेसियत खातेदार काश्तकार के काश्त किया जाता रहा है । उसके नाम से ही गिरदावरियां है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये मौका कमिश्नर के रिपार्ट में विवादित भूमि पर मकानात पुख्ता व पक्के है जो अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट के है । कुआ बना हुआ है । तीन तरफ पक्की दिवारे व बिजली का वर्षा पुराना कनैक्शन भी है । अपीलांट/गौण रेस्पो0 का वर्षा पुराना कब्जा काश्त साबित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज किया जाना व तनकियात न कायम कर दावा खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2003 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्कों को नकारते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा रोही मोजा सुजानगढ की खातेदारी अचरज देवी के नाम से रही है । अपीलांट द्वारा अपने दावे में अंकित किया कि अचरज देवी ने अपने जीवनकाल में बिरदीचंद को छोटी अवस्था में अपने पास रखा तथा भरणपोषण किया व मु0 अचरज देवी ने बिरदीचंद को बाडी का मालिक घोषित कर दिया व अचरज देवी के स्वर्गवास के बाद बिरदीचंद का वादगत भूमि पर कब्जा काश्त रहा परन्तु पत्रावली में वादी की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जा सके की मु0 अचरज देवी ने विवादित भूमि का उत्तराधिकारी बिरदीचंद को घोषित किया है इसलिये बिरदीचंद के द्वारा वादी के पक्ष में ईकरारनामा द्वारा किये गये बेचान का कोई महत्व नहीं है क्यों कि बिरदीचंद का वादगत भूमि में अधिकार भी संदिग्द है । अपीलांट/वादी द्वारा मात्र संवत 2032-33 की गिरदावरी अपने नाम से प्रस्तुत की है जिससे वाद साबित नहीं होता है । अपीलांट/वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं बयान प्रस्तुत किये है किन्तु कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । बिना दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन में मौखिक बयानो का विशेष महत्व नहीं रहता है । अत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2003 को यथावत रखा जावे व अपील अपीलांट की खारिज की जावे ।
4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट पक्ष की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा भूमि पर अपीलांट/वादी का वर्षा पुराना कब्जा काश्त रहा है वादगत भूमि पर अपीलांट/वादी का कच्चा पक्का निर्माण कुण्ड कुंआ आदि का निर्माण किया हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए दावा वादी खारिज किये जाने से पूर्व नियमानुसार तनकियात कायम कर साक्ष्य सबुत मांगकर तनकियात का निर्णय करते हुए दावा डिक्री किया

- जाना चाहिये था जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अमल में नहीं लाया गया और सिधे ही दावा खारिज कर डिक्री किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2003 को खारिज कर प्रकरण प्रतिपेधित रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वो वादगत भूमि से संबंधित सभी पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करवाते हुए साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करवाते हुए पूनः निर्णय पारित करे पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो ।
 6. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hki zU/k vf/kdkjh , oa
insu jktLo vihy ikf/kdkjh
chdkuj